


7-6-24

पत्रावली आज पेश हुई।

प्रार्थी वकील उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। न्यायालय में राजस्व आवेदन दिनांक 17.03.2023 को दर्ज करने के बाद विप्रार्थीगण के नोटिस डाक रजिस्टर्ड भेजने के आदेश दिये गये थे। परन्तु प्रार्थी वकील ने विप्रार्थीगण के नोटिस आज तक पेश नहीं किये। प्रार्थी वकील को नोटिस तामिली कई अवसर दिये जाने बावजूद भी विप्रार्थीगण के नोटिस आज तक पेश नहीं किये। एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी विप्रार्थीगण की तलबी पूर्ण नहीं करवाई, तलबी के अभाव उक्त प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के तहत राजस्व आवेदन अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

